

स्वीकार किया जाना उचित व न्यायाचेत प्राप्ति होता है।

आदेश

प्रार्थीगण रामधन आदि द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम छावसरी पटवार हल्का छावसरी की सरहद में स्थित वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 1104 मे आवागमन हेतु फर्द मौका उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी दिनांक 11.03.2021 मय नजरी नक्शा में लाल स्याही से प्रस्तावित किये गये रास्ते को राजकीय रास्ता कायम किया जाता है। आवेदक उक्त रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि के बदले डी0 एल0 सी0 दर की दुगनी राशि को तहसीलदार उदयपुरवाटी के पास जमा करवाए एवं तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है कि उक्त जमा डी0एल0सी0 दर की दुगनी राशी को जिस खातेदारी की भूमि रास्ते में समायोजित हो रही है, को नियमानुसार भुगतान करे तथा उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड में राजकीय रास्ता दर्ज करते हुए नक्शा ट्रेस में भी अंकित करें। फर्द मौका निरिक्षण उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी दिनांक 11.03.2021 मय नजरी नक्शा इस आदेश का हिस्सा रहेगी।

राम सिंह राजावत
(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राम सिंह राजावत
(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
उदयपुरवाटी

